

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2080/2022

सीताराम नाराणिया पुत्र श्री छोटूराम नाराणिया, आयु 55 वर्ष, निवासी— 34, श्याम विहार कॉलोनी, श्योपुर, पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर (राज.)

----प्रार्थी / अपीलार्थी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र श्री गोपीचन्द, निवासी— 33 / 180 / 143, प्रताप नगर सैक्टर-3, सांगानेर, जयपुर (राज.)
(चालक एवं सुपुर्ददार वाहन कार नम्बर आर.जे-14-सी.ए-8073)
2. नाथूलाल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, निवासी—लहानिया का मोहल्ला, कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
(पंजीकृत स्वामी वाहन कार नम्बर आर.जे-14-सी.ए-8073)
3. एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जरिये प्रबंधक, कार्यालय— अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर।
(बीमा कम्पनी वाहन कार नम्बर आर.जे-14-सी.ए-8073)

----अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Virendra Agrawal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

08/12/2025

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ट न्यायालय, सा.दं.प्र.), जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-1015/2017, सीताराम बनाम सोहनलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2022 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी सीताराम द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 25,40,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान

अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को कुल 4,77,775/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,382/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। जबकि अपीलार्थी की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अपीलार्थी मीट की दुकान का व्यवसाय कर 20,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के विभिन्न भागों में चोटें कारित हुई तथा अपीलार्थी के दाएं पैर में अस्मिभंग की गंभीर चोट कारित हुई है, जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर पर कुल 29.52 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित आय पर भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 29.52 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 02.09.2017 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 55 वर्ष की आयु का होना बताते हुए मीट की दुकान का व्यवसाय कर 20,000/- रुपये

प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार उसकी मासिक आय की गणना 26 दिनों की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,382/— रुपये निर्धारित की गई है। जबकि अपीलार्थी की आय 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 207/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $207 \times 30 = 6,210/—$ रुपये होती है। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी को 55 वर्ष की आयु का होना बताया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में स्वयं की आयु 58 वर्ष होना बतायी गयी है। अपीलार्थी के बयान घटना के तीन वर्ष पश्चात् लेखबद्ध किये गये हैं। घटना दिनांक 02.09.2017 की बताई गयी है। अपीलार्थी द्वारा उम्र बाबत् कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उम्र बाबत् ठोस साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी की स्वीकृत आयु 55 वर्ष मानी जाती है। चूंकि वक्त घटना अपीलार्थी 55 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 6,210/— रुपये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। 6,210/— रुपये का 10 प्रतिशत 621/— रुपये होता है। उक्त 10 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 6,831/— रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा अपीलार्थी दाएं पैर में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 29.52 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता

प्रमाण पत्र प्रदर्श-15 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के कारित स्थायी निर्योग्यता 29.52 प्रतिशत को पूर्णांक में 30 प्रतिशत माना गया है। विद्वान अधिकरण के उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। अतः अपीलार्थी को 30 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता होने के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 30 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 6,831/- रुपये का 30 प्रतिशत 2,049/- रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की स्वीकृत आयु 55 वर्ष मानी गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 11 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $2,049 \times 12 \times 11 = 2,70,468/-$ रुपये होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 60,000/- रुपये, इलाज पर व्यय की गयी राशि के मद में 1,66,250/- रुपये, 14 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने हेतु 8,400/- रुपये, पौष्टिक आहार की मद में 10,000/- रुपये तथा यातायात व परिवहन की मद में 10,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त मदों में अपीलार्थी को दिलवाई गयी राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा शल्य चिकित्सा की मद में 10,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है जो कम है। दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के दो ऑपरेशन हुए हैं। अतः शल्य चिकित्सा की मद में हम, प्रति ऑपरेशन 10,000/- रुपये के हिसाब से 20,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गयी है। यह स्वभाविक है कि दुर्घटना में अपीलार्थी के कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब चार माह तक आय अर्जित करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम, चार माह की आय की हानि के मद में 24,840/- रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के दाहिने पैर में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई हैं। जिनके फलस्वरूप अपीलार्थी के पैर का ऑपरेशन किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष कथन किया गया कि उसका पैर अभी तक नहीं जुड़ा है तथा अभी उसके पैर का एक ऑपरेशन और होना बाकी है। दुर्घटना में आयी चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी को सीढ़िया चढ़ने में भारी परेशानी होती है तथा वह सीढ़िया नहीं चढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में भविष्य में इलाज की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हम 1,00,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	2,70,468/-
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	60,000/-
3.	पौष्टिक आहार की मद में	10,000/-
4.	यातायात व परिवहन की मद में	10,000/-
5.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	1,66,250/-
6.	14 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	8,400/-
7.	शल्य चिकित्सा की मद में	20,000/-
8.	इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में	24,840/-
9.	भविष्य में करवाये जाने वाले इलाज की मद में	1,00,000/-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		6,69,958/-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		4,77,775/-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		1,92,183/-

14. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि अपीलार्थी/क्लेमेंट को **4,77,775/-** रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **6,69,958/-** रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।
15. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
17. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J